HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Bail Cancellation Application No. 53/2025

Banshi Lal S/o Mangi Lal Mali, Aged About 55 Years, Sanjay Colony Police Station Subhash Nagar District Bhilwara

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Gori Shankar @ Goru S/o Gopi Lal Gurjar, Aged About 24 Years, Pur Police Station Pur District Bhilwara

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Yuvraj Singh Kanawat
For Respondent(s)	:	Mr. Hathi Singh Jodha, PP Mr. Shive Kumar Bhati

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

28/03/2026

प्रार्थी–मुस्तगीस की ओर से जमानत निरस्तीकरण का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**, पुलिस थाना **प्रताप नगर (भीलवाड़ा)**, जिला **भीलवाड़ा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **405/2024**, अपराध अन्तर्गत धारा **307, 120बी, 212 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3/25, 5/25, 5/29 आर्म्स एक्ट** के मामले में अप्रार्थी संख्या–2 अभियुक्त की जमानत निरस्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में अप्रार्थी–अभियुक्त की जमानत इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 405/2024, पुलिस थाना प्रताप नगर, जिला भीलवाड़ा में ली गई थी। उसके पश्चात् दिनांक 12.03.2025 को पूर्व प्रकरण के गवाह हीरालाल के साथ अप्रार्थी गौरीशंकर द्वारा मारपीट की गई, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 52/2025 दर्ज हुई है। इस आधार पर अप्रार्थी–अभियुक्त गौरीशंकर की इस न्यायालय द्वारा ली गई

जमानत आदेश दिनांक 16.10.2024 को निरस्त करते हुए अप्रार्थी–अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा इसका सख्त विरोध किया गया।

मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इस मामले में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52/2025 दर्ज करवाई गई है, उसमें यह अंकित नहीं किया गया है कि हीरालाल पूर्व के प्रकरण में गवाह है, इसलिये उसके साथ मारपीट गौरीशंकर द्वारा की गई हो। उसके अलावा जो पूर्व प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 405/2024, पुलिस थाना प्रताप नगर, जिला भीलवाड़ा के संबंध में प्रस्तुत चालान की प्रति का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि हीरालाल मात्र फर्द जिंदा कारतूस द्वारा गौरी शंकर गुर्जर की हद तक ही गवाह है। पूर्व प्रकरण में अन्य गवाह भी मौजूद हैं। केवल बाद में अप्रार्थी–अभियुक्त की किसी कारण से हीरा लाल के साथ झगड़ा हो भी गया है, तो इस आधार पर इस प्रकरण का मुस्तगीस बंशी लाल अप्रार्थी–अभियुक्त गौरी शंकर की जमानत निरस्त करने के लिये प्रार्थना नहीं कर सकता।

यह प्रार्थना–पत्र आधारहीन है। प्रार्थना–पत्र बाबत् कैंसलेशन ऑफ बेल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

24-divyashri/-